दिनांक 17 मई 2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

# दुकान खुला रखने पर निगम की टीम ने की कार्यवाही, दुकानदार से 15500 रुपए का जुर्माना लगाकर कराया गया बंद, आज विभिन्न दुकानों का किया गया निरीक्षण

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत निगम भिलाई की टीम लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने शहर के विभिन्न स्थलों में निरीक्षण करते हुए आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर रही है इसी के तहत आज टीम द्वारा एसीसी चौक से छावनी चौक तक , नेहरू नगर, खुर्सीपार, कैंप क्षेत्र, वैशाली नगर क्षेत्र, रामनगर, लिंक रोड, पावर हाउस के समीप, मॉडल टाउन, स्मृति नगर, राधिका नगर, कुरूद, नंदनी रोड, बापूनगर, सुभाष मार्केट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया! उपायुक्त अशोक द्विवेदी निरीक्षण के लिए निकले इस दौरान नंदनी रोड छावनी चौक स्थित कुछ दुकानें खुली हुई पाई गई मौके पर निरीक्षण के दौरान जगदंबा ऑटोमोबाइल्स के संचालक के द्वारा ऑइल ग्रीस का विक्रय किया जा रहा था जिससे 5000 रुपए अर्थदंड वसूला गया, बता दें कि दुकान संचालक द्वारा विरोध प्रकट किया गया जिसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई तब जाकर संचालक ने जुर्माना दिया ! इसी क्षेत्र में राजस्थानी भोजनालय एवं बंगाली भोजनालय नंदनी रोड के संचालक द्वारा दुकान खोलकर होटल व्यवसाय संचालित किया जा रहा था टीम के पहुंचने पर होटल संचालक से 10500 रुपए अर्थदंड की वसूली की गई! जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार क्षेत्र अंतर्गत नंदनी रोड , छावनी चौक से एससीसी चौक मुख्य मार्ग पर निरीक्षण के तहत बाकी सभी दुकानें बंद पाई गई! गौरतलब है कि रविवार को संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन कराने निगम भिलाई की टीम कार्यवाही कर रही है! दिन रविवार को अत्यावश्यक मेडिकल सेवाओं को छोड़कर व्यवसायियों से भी इस दौरान अपील की गई थी कि घरों पर ही रहे , स्वयं सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मददगार बने!